**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1782**

**सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)**

**श्रमिकों के अधिकारों के लिए कानून में संशोधन**

**1782. श्री वीरेन्द्र सिंह:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमिकों के लिए नियमित रोजगार को शामिल करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार आठ घंटे से अधिक समय तक कार्य करने के लिए ओवरटाइम का भुगतान करने का भी प्रस्ताव है क्योंकि कार्य के घंटों को आठ घंटे से बढ़ाकर बारह घंटे कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों के शोषण को रोकने और संतुलन बनाए रखने के संबंध में कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क): केंद्र सरकार ने श्रम कल्याण और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा 29 केंद्रीय अधिनियमों को समामेलित, युक्तिसंगत और सरल बनाकर चार श्रम संहिताएं अर्थात वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 तैयार की है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में निश्चित अवधि रोजगार (एफटीई) की अवधारणा दी गई है। एफटीई कर्मचारी किसी स्थायी कर्मचारी को उपलब्ध ग्रेच्युटी लाभ सहित सभी लाभों के लिए पात्र होगा, जो उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से उपलब्ध होंगे, चाहे उसकी रोजगार की अवधि रोजगार की अपेक्षित अर्हक अवधि को पूरा न करती हो।

जारी2/-...

(ख): ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के तहत, कामगार ओवरटाइम काम के संबंध में मजदूरी की दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने के पात्र हैं, जहां कोई कामगार किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के भाग में किसी दिन या किसी सप्ताह में काम के ऐसे घंटों से अधिक काम करता है, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और इस ओवरटाइम काम की अवधि की गणना दैनिक आधार पर या साप्ताहिक आधार पर की जाएगी, जो भी ऐसे कर्मचारी के लिए अधिक अनुकूल हो।

(ग): प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम घटनाओं आदि से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित बीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, किसानों की आय को स्थिर करने आदि के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) जैसी विभिन्न योजनाएं चल रहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न मंचों जैसे मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठक, श्रम बजट संशोधन बैठक, साझा समीक्षा मिशन, कार्यक्रम समीक्षा समिति बैठक, मासिक समीक्षा बैठक और केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बैठक के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यान्वयन के प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, राज्य रोजगार गारंटी परिषदें (एसईजीसी) भी समय-समय पर राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

सरकार द्वारा अधिनियम के उपबंधों के तथा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट का संचालन करना।
- लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना।
- राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटरों और केंद्रीय टीमों द्वारा निगरानी करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन करना।
- क्षेत्र अधिकारी ऐप के उपयोग से निगरानी करना।
- उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सिस्टम (एनएमएमएस) का उपयोग करना।
- नागरिकों की प्रतिक्रिया और जानकारी प्राप्त करने के लिए जनमनरेगा ऐप ।

*****